कार्यालय कलेक्टर जिला –हरदा

क्रमांक/793/सा.निर्वा./लेखा/2018

हरदा दिनांक 23/05/2018

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

विधान सभा निर्वाचन 2018 एवं लोक सभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुये हरदा जिले के विधान सभा क्षेत्र 134 टिमरनी एवं 135 हरदा के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन फार्म, चुनाव प्रचार, ईव्हीएम रेण्डमाइजेशन, मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों की विडियोग्राफी अन्य क्रिटीकल घटनाओं की विडियोग्राफी सामग्री वितरण एवं वापिसी आदि के लिये वीडियोग्राफी हेतु लगभग 150 वीडियों कैमरा/डिजीटल कैमरा तथा 50 मतदान केन्द्रों पर बेवकॉस्टिंग तथा मतगणना कार्य के लिये 35 सीसी टीवी कैमरों की सेवायें मेनपावर सहित किराये पर लिया जाना है। इस हेतु दिनांक 19.6.2018 तक (कार्यालयीन समय में) मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं प्राप्ति तिथि के अगले कार्य दिवस में 3:00 बजे गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत प्रपत्र, शर्ते आदि कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा के कक्ष क्रमांक 15 से (अवकाश दिवस छोड़कर) देखा जा सकता है, तथा निर्धारित शुल्क रू. 100.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, तथा एक सौ रूपये का डीडी कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में जमा कर जिले की बेवसाईट harda.nic.in एवं harda.mp.gov.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

22/5/18

कलेक्टर

जिला–हरदा

क्रमांक/794/सा.निर्वा./लेखा/2018

हरदा दिनांक 23/05/2018

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त नर्मदापुरम होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर सर्व ....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा की ओर सूचनार्थ।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी सर्व जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
8. डी आई ओ एन आई सी हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रबंधक ई–गर्वनेश जिला हरदा की ओर उक्त निविदा सूचना को बेवसाईट (harda.mp.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

22/5/18

कलेक्टर

जिला–हरदा

D:\Office Letters 2017-18\Tendar 2018

(जितेन्द्र तंवर)
सहायक ग्रेड-3

कार्यालय कलेक्टर जिला –हरदा

जिला..म0प्र0
निविदा फार्म क्रमांक..............................
दिनांक..
मूल्य 100.00
पृष्ठों की संख्या 8 (आठ)

:: निविदा प्रपत्र ::

विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु वीडियोग्राफी/बेवकॉस्टिंग एवं सीसी टीव्ही कैमरा हेतु निविदा

कार्य का क्षेत्र एवं सामान्य शर्ते :–

1. निविदा प्रस्तुत करने का स्थान व अंतिम तिथि व समय :– कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 15 में निविदा दिनांक 19.6.2018. तक प्रस्तुत की जा सकती है।
2. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस 3:00 बजे से कलेक्टर कार्यालय हरदा के कक्ष क्रमांक 15 में खोली जावेगी।
3. निविदा द्वि लिफाफा पद्धति द्वारा प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र (अ) में समस्त जानकारियॉ मय स्वप्रमाणित अभिलेखों/प्रतिभूति राशि एवं आवेदन पत्र के शुल्क का डीडी सहित अभिलेख होगें।जिस पर **विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु वीडियोग्राफी/बेवकॉस्टिंग एवं सीसी टीव्ही कैमरा लिखा होगा।** द्वितीय लिफाफा दरों से संबंधित निविदा प्रपत्र (ब) होगा। जिसमें केवल दरों का विवरण होगा।
4. बिन्दु तीन में उल्लेखित लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील्ड किये जाकर उस पर **"विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु वीडियोग्राफी/बेवकॉस्टिंग एवं सीसी टीव्ही कैमरा हेतु निविदा"** लिखा होगा।
5. प्राप्त निविदाओं के समस्त सील बंद लिफाफे कलेक्टर जिला हरदा द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोले जावेगें।
6. निविदा मूल प्रपत्र में सील बंद लिफाफे में स्वीकार की जावेगी। निविदादाता को प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता की वित्तीय स्थिति के संबंध में विगत तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट/सी.ए. द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित प्राफिट एवं लॉस एकांउन्ट एवं बैंलेंसशीट संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को स्थापना अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय के पश्चात् डाक या अन्य माध्यमों से प्राप्त निविदा खोली नहीं जाकर अमान्य कर दी जावेगी।
10. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति राशि (Earnest Money) रूपये 20000.00 का बैक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना होगा।

11. जिन निविदाकर्ताओं के साथ निविदा प्रतिभूति राशि (Earnest Money) रूपये 20000.00 का बैक ड्राफ्ट संलग्न नही होगा। वह निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
12. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे निविदा राशि का 5–10 प्रतिशत (Performance Guarantee) के रूप में बैंक ड्राफ्ट या एफ.डी. के माध्यम से, जो कि कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में देय होगा, एक सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा। यह राशि कार्य समाप्त होने पर तथा निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो का पालन न करने की दशा में उससे होने वाली समस्त वसूलियों के उपरांत वापिस की जावेगी।
13. निविदादाता को वीडियोग्राफी, बेवकॉस्टिंग आदि कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदादाता का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों से कोई संबंध नही होना चाहिए। निविदादाता किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नही करेगा। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
15. निविदादाता अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित नही रहेगा।
16. निविदादाता सीधे कलेक्टर जिला हरदा अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
17. निविदादाता को वीडियोग्राफर एवं उनके दल के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण **(परिशिष्ट–एक)** में उपलब्ध कराना होगा।
18. निविदादाता का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण हरदा जिला होगा। आवश्यकता अनुसार विडियो कैमरे उपलब्ध कराने होगें समय पर मांग अनुसार वीडियो कैमरे उपलब्ध न कराने की दशा में अन्य फर्म से व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय की राशि निविदाकार की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।
19. निविदादाता वीडियो कैसेट/माईक्रो एसडी कार्ड पूर्ण होने पर उसकी सुरक्षा के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा। वीडियो कैसेट/ माईक्रो एसडी कार्ड पूर्ण होने पर निविदादाता तत्काल उस कैसेट/ माईक्रो एसडी कार्ड को कलेक्टर जिला हरदा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंपना होगा ।
20. प्रत्येक कार्य का ब्यौरा कलेक्टर जिला हरदा अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदादाता को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।
21. निविदादाता प्रतिदिन की प्रगति रिर्पोट कलेक्टर जिला हरदा अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
22. निविदादाता को निविदा के साथ अपना आयकर नम्बर , जीएसटी नंबर, अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
23. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्वाद रूप से निरन्तर चलता रहे किसी भी तरह के विलंब अथवा रूकावट के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा एवं प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी।
24. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिले की मांग अनुसार वीडियो कैमरे/सीसी टीव्ही कैमरे आदि उपलब्ध कराना होगा। निविदा में उल्लेखित विडियों कैमरें, बेवकॉस्टिंग,सीसी टीव्ही कैमरों की संख्या परिस्थिति अनुसार कम या अधिक हो सकती है। जिसे सफल निविदाकार को मान्य करना होगा।
25. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी CYBER SECURITY INSTRUCTION का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। उल्लघंन की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
26. विडियोंग्राफी उपरांत प्रतिदिन विडियों की सीडी एवं माईक्रो एस डी कार्ड का डाटा उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर कार्यालय में स्वयं का सेटअप स्थापित किया जाना होगा। जिसकी क्षमता 1 टेराबाईट की होना चाहिए।

27. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा, कि उस दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित है।
28. कलेक्टर जिला हरदा को यह अधिकार होगा कि गुणदोषो के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।
29. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-दो में संलग्न प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
30. किसी भी तरह के विवाद हेतु अन्तिम निर्णय कलेक्टर जिला हरदा का होगा।
31. यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रक्रिया का तथा रिटर्निंग आफीसर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर निविदादाता को कोई भुगतान नही किया जावेगा। ऐसी दशा में उसकी स्वीकृत दर पर किसी अन्य फर्म से कार्य कराया जावेगा।
32. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लिया जाता है, अथवा अन्य किसी कारण चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है, तो निविदादाता संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार स्वीकृत दर पर अपनी सेवाएं कलेक्टर जिला हरदा को प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। संशोधित चुनाव कार्यक्रम के कारण सेवा अवधि में होने वाली वृद्धि के लिए निविदादाता को देय सेवा शुल्क का निर्धारण कलेक्टर जिला हरदा द्वारा किया जावेगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
33. वीडियोग्राफी फोटोग्राफी /वेबकास्टिंग के लिये किसी भी समय कलेक्टर जिला हरदा/रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर वीडियोग्राफी एवं अन्य कार्य करना होंगे ।
34. सफल निविदाकार द्वारा विडियोग्राफरों की परिशिष्ट-एक में उपलब्ध करायी गई सूची अनुसार विडियोग्राफरों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण दिनांक को प्रशिक्षण में उपस्थित कराना होगा। जिसका भुगतान पृथक से देयक नहीं होगा ।
35. मतदान दिवस की विडियोग्राफी के लिए विडियोग्राफरों को एक दिवस पूर्व मतदान दल के साथ उसी वाहन से मतदान केन्द्र पर प्रस्थान करना होगा । जिसका मानदेय पृथक से देय नहीं होगा ।
36. निविदा में दर्शाई गई शर्ते वीडियो टीम के सदस्यों पर भी लागू रहेगी।
37. सफल निविदाकार उसे दिए गए ठेके को न तो किसी अन्य को देगा और न ही किसी अन्य को सबलेट करेगा।
38. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
39. सफल निविदाकार को 500/- रूपये के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र 15 दिवस के अन्दर निष्पादित करना होगा।
40. निविदादाता कलेक्टर जिला हरदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी एवं निधारित शुल्क जमा कर निविदा प्रपत्र आदि प्राप्त कर सकते है।
41. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला हरदा को होगा।

कलेक्टर
जिला-हरदा (म. प्र.)

निविदा प्रपत्र–अ

निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा

(निविदादाता द्वारा भरा जावेगा)

1. निविदाकार का नाम और पता ::
2. स्थापना अधिनियम के तहत संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं प्रमाण–पत्र ::
3. संस्था का जीएसटी नम्बर ::
4. संस्था का पेन नम्बर ::
5. निविदाकार का संगठन ::
5 (1) (संगठन/साझेदारी की संख्या अनुभव) ::
6. पिछले 3 वर्षो में व्यापार का टर्न ओव्हर ::
6. (1) (आडिट रिपोर्ट एवं बैंलेसशीट) ::
7. उपलब्ध कैमरों तथा उन्हें संधारित करने वाले उपलब्ध अनुभवी व्यक्तियों की संख्या ::
7 (1) (विवरण परिशिष्ट 3 में उल्लेखित) ::
8. निविदा प्रतिभूति (Earnest Money)राशि का विवरण ::
8 (1) बैक का नाम ::
8 (2) बैंक ड्राफ्ट/एफडी का क्रमांक ::
8 (3) दिनांक ::
8 (4) राशि ::
9. निविदाकार का बैंक का नाम/खाता क्रमांक /बैंक का आईएफसी कोड क्रमांक ::

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र–ब
दर को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र

क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	दर
1	2	3
1	विडियोग्राफी (प्रतिदिन/प्रति कैमरा)	
2	फोटोग्राफी (प्रिन्ट सहित/पोस्टकार्ड साईज)	
3	फोटोग्राफी (साफ्टकॉपी)	
4	बेवकॉस्टिंग (सम्पूर्ण उपकरण एवं इंटरनेट सहित)	
5	सीसी टीव्ही कैमरा (सम्पूर्ण उपकरण सहित)	

दिनांक................................
स्थान..................................

निविदाकार के हस्ताक्षर
पूरा नाम ....
पता ....

परिशिष्ट–1

विडियोग्राफर एवं उनके दल के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण :–

स. क्र.	नाम	पिता / पति का नाम	निवास का पता	मोबाईल नम्बर	निवास स्थान के विधानसभा क्षेत्र / मतदान केन्द्र क्र. / स.क्र. का विवरण	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट–2
घोषण–पत्र

1. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी सत्य है।
2. मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी भी राजनीतिक दल अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी राजनैतिक दल अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से यदि कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध निर्मित होता है तो में उसकी सूचना किसी भी परिस्थिति में 24 घण्टे के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन/रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करूंगा।
3. मैं/हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहति को सर्वोपरि मानते हुये पूर्ण करेंगे तथा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगें जिससे चुनाव के निष्पक्ष होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

दिनांक..............................

स्थान................................

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

पता ....